राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1967/2007/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–षष्ठम् जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स शाह चम्पालाल जवाहरलाल,
सी–15, नई अनाज मण्डी,
चांदपोल बाजार, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 89/आरएसटी/2001–02/जी/04–05 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–षष्ठम्, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2001 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 40,340/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2004 को वाहन संख्या आर.जे.14–जी–6455 को चैक किया गया जिसके तहत् परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजात मांगने पर वाहन चालक/मालप्रभारी द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

जयपुर कोटा ट्रांसपोर्ट सर्विस चालान नम्बर 16359 दिनांक 24.11.2000 जी.आर.नम्बर 41049 व 41050, नेशनल ट्रांसपोर्ट कम्पनी सीकर की बिल्टी नम्बर 1452 दिनांक 23.11.2000, मै. रामावतार दीनदयाल सीकर का बिल नम्बर 284 दिनांक 23.11.2000 एवं मै. अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज का चालान नम्बर 1111 दिनांक 24.11.2000 ।

3. जांच के दौरान पाया गया कि बिल्टी नम्बर 41050 के साथ 105 कट्टे मैथी का कोई बिल चालान या डिस्पेच मेमो नहीं पाया गया। अतः बिना दस्तावेज 105 कट्टे मैथी परिवहनित करने से करापवंचन के संदेह में परिवहनित माल की कीमत रूपये 1,34,464/– पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 40,340/– की मांग आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी के विरूद्व शास्ति का आरोपण किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस व उचित आधार के प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है जो विधिविरूद्ध है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 24.11.2000 को 105 कट्टे मैथी के बुक कराये गये थे जिसकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा बिल्टी संख्या 41050 जारी की गयी थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिल नम्बर 1310 ट्रांसपोर्ट कम्पनी को माल के साथ प्रेषित किया गया था, उक्त बिल वाहन चालक द्वारा जल्दबाजी में भूलवश ट्रांसपोर्ट कार्यालय में ही छूट गया था, किन्तु ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा जारी की गयी बिल्टी संख्या 41050 में माल के प्रेषक व प्रेषिति का नाम पता, माल की तादाद, किस्म आदि अंकित किये हुये थे। इसके अतिरिक्त परिवहनित माल कर चुका था अतः उस पर करापवंचन का कोई प्रश्न ही नहीं था। माल के प्रेषित व प्रेषिति दोनों की राजस्थान राज्य के पंजीकृत व्यवसायी है। उन्होनें अपने कथन में यह भी कहा कि सशक्त अधिकारी का दायित्व था कि वे प्रत्यर्थी के राजस्थान राज्य के व्यवसायी होने से उनके व्यवसाय स्थल की स्वंय अपने स्तर पर रिकार्ड पर लेते हुये जांच कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते किन्तु सशक्त अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल मात्र करापवंचन के संदेह से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व शास्ति का आरोपण किया है। जो विधिविरूद्व है। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.03.2002 से पूर्व शास्ति का आरोपण केवल मात्र माल प्रभारी/वाहन चालक पर ही किया जा सकता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में शास्ति का आरोपण प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व किया गया है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरापेण पूर्णतः अविधिक है। अन्त में उन्होनें अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच के समय 105 कट्टा मैथी के बिल वाहन चालक के पास उपलब्ध नहीं थे किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त माल की खरीद के बिल व बिक्री बिल आदि प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 24.11.2000 को 105 कट्टा मैथी के बुक कराये गये थे तथा परिवहनित माल कर चुका था। सशक्त अधिकारी का दायित्व था कि वे प्रत्यर्थी के राजस्थान राज्य के व्यवसायी होने से उनके व्यवसाय स्थल की स्वंय अपने स्तर पर रिकार्ड पर लेते हुये जांच कर कार्यवाही सम्पादित करते तथा करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित करते किन्तु सशक्त अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल मात्र करापवंचन के संदेह से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व शास्ति का आरोपण किया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त माल मैसर्स जय बालाजी फूड प्रोडक्ट जयपुर द्वारा बिल संख्या 23 दिनांक 24.11.2000 द्वारा कर चुका कर खरीदा जाना बताया है जिससे करापवंचना नही मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.03.2002 से पूर्व शास्ति का आरोपण केवल मात्र माल प्रभारी/वाहन चालक पर ही किया जा सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में शास्ति का आरोपण प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व किया गया है। अतः इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच किये एवं करापवंचन की मनोदशा सिद्ध किये बिना शास्ति का आरोपण कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया ही अनुचित एवं अविधिक प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य